सामान्य अध्ययन (प्रश्न-पत्र II) GENERAL STUDIES (Paper II)

निर्धारित समय : तीन घण्टे

Time Allowed: Three Hours

अधिकतम अंक : 250

Maximum Marks: 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें : कुल बीस प्रश्न दिए गए हैं जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को घ्यान में रिखए।

प्रश्त-सह-जन्तर (म्यू.सी.ए.) पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions:

There are TWENTY questions printed both in HINDI and in ENGLISH.

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions no. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions no. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer (QCA) Booklet must be clearly struck off.

UPSC 2023 || RaadheytheVisiion || 8889907405

1.	"संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पू	र्व शर्त है।" टिप्पणी कीजिए।
	"Constitutionally guaranteed judicial independence is a p	rerequisite of democracy."
	Comment.	10

- 2. नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं ? नि:शुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) की भूमिका का आकलन कीजिए।

 Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of the National Legal Services Authority (NALSA) in rendering free legal aid in India.
- 3. "भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।" टिप्पणी कीजिए।
 "The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally

as well as financially." Comment.

- 4. संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएं।

 Compare and contrast the British and Indian approaches to Parliamentary sovereignty.
- 5. विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परम्पराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए।

Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.

6. मानव संसाधन विकास पर पर्योप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर प्रम रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके।

The crucial aspect of development process has been the inadequate attention paid to Human Resource Development in India. Suggest measures that can address this inadequacy.

- 7. भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों का संदर्भ लें।
 - Discuss the role of the Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by the Multi-National Corporations in India. Refer to the recent decisions.
- 8. अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज कर दिया है। कौन-सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं?

e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features?

UPSC 2023 || RaadheytheVisiion || 8889907405

9.	'संघर्ष का विषाणु एस.सी.ओ. के कामकाज को प्रभावित कर रहा है'	
	उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइये।	
	'Virus of Conflict is affecting the functioning of the SCO'	
	In the light of the above statement point out the role of India in mitigating the problems.	
10.	भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है।	
	भारत के लिये इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन करें।	
	Indian diaspora has scaled new heights in the West.	
	Describe its economic and political benefits for India.	
11.	"भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिये बनाया गया एक संविधान है।" जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।	
	"The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society." Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.	
12.	प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.	
13.	संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिये जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए।	
	Account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency of using Article 356 by the Union Governments since mid 1990s.	
14.	भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिये नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए।	
	Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.	
15.	101 वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए । यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है ?	
	Explain the significance of the 101st Constitutional Amendment Act. To what extent	

does it reflect the accommodative spirit of federalism?

16. संसदीय सिमिति प्रणाली की संरचना को समझाइए । भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय सिमितियों ने कहां तक मदद की ?

Explain the structure of the Parliamentary Committee system. How far have the financial committees helped in the institutionalisation of Indian Parliament?

17. "वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं।" क्या आप सहमत हैं ? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए।

"Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach." Do you agree? Give reasons for your answer.

18. विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के सन्दर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए।

Skill development programmes have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. In the context of the statement analyse the linkages between education, skill and employment.

19. 'नाटो का विस्तार एवं सुदृढीकरण, और एक मजबूत अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिये अच्छा काम करती है।'

इस कथन के बारे मे आपकी क्या राय है।? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिये।

'The expansion and strengthening of NATO and a stronger US-Europe strategic partnership works well for India.'

What is your opinion about this statement? Give reasons and examples to support your answer.

20. 'समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है'

उपरोक्त कथन के आलोक में पर्यावरण रक्षण और समुद्री संरक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ाने में आई.एम.ओ. (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन) की भूमिका पर चर्चा करें।

'Sea is an important Component of the Cosmos'

Discuss in the light of the above statement the role of the IMO (International Maritime Organisation) in protecting environment and enhancing maritime safety and security.